

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12/49/2025

रजि० नं० 2025/164

प्रवेश तिथि 11.03.2025

अपीलार्थी :- पतापसिंह एडवोकेट कोर्ट कैम्पस बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड (राजस्थान)	प्रत्यर्थी :- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)
---	--

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :- दिनांक 17.03.2025

- 1- अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
- 2- अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
- 3- अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) से जरिये नोटिस क्रमांक 253-54 दिनांक 11.03.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 17.03.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथि को अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
- 4- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज०) ने जर्ज पत्र क्रमांक राजकाज रेफरेन्स संख्या 14163481 दिनांक 12.03.2025 के द्वारा जवाब पेश करते हुए एक प्रति अपीलार्थी को भी भिजवायी गयी है, जिससे स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2025 में वर्णित सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी है। उक्त क्रम में विधिक प्रावधानों की पालना की गयी है।
- 5- पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा सूचना प्रेषित कि गयी है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
- 6- अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जाये। पत्रावली फौसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।
- 7- आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)